जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आजमगढ़।

पत्रांक /जि0नि0का0/पं0 एवं न0नि0/नि0सू0/2017 दिनांक 27 मार्च, 2017

अल्पकालिक निविदा सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन–2017 हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण तथा उम्मीदवारों के विवरण आयोग की वेबसाइट पर फीड किये जाने हेतु डेटा इन्ट्री, फोटो कापी, लेजर प्रिन्ट, स्कैनिंग तथा फोटोग्राफी आदि का कार्य कराये जाने हेतु इच्छुक पंजीकृत फर्मो से मुहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्मे जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आजमगढ़ से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 04.04.2017 तक निर्धारित शुल्क जमा करके प्रपत्र (भाग–1 एवं भाग–2) प्राप्त कर सकते है। निविदा दिनांक 05.04.2017 को अपराह्न 2:00 बजे तक जिला निर्वाचन कर्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) विकास भवन, आजमगढ़ कमरा नं0 212 में डाली जायेगी और उसी दिन अपराह्न 3:00 बजे उसी स्थान पर निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। उक्त कार्य हेतु अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) एवं निविदा का मुल्य निम्न विवरण के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र0सं0	मद	निविदा का मूल्य (रूपये में)	धरोहर धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण तथा उम्मीदवारों के विवरण आयोग की वेबसाइट पर फीड किये जाने हेतु डेटा इन्ट्री, फोटो कापी (एक तरफ) एवं फोटो कापी (दोनों तरफ), लेजर प्रिन्ट, स्कैनिंग तथा फोटोग्राफी आदि का कार्य।	200=00	20,000=00

निविदादाता को निर्धारित अर्नेस्ट मनी (धरोहर धनराशि) का बैक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जमा करना होगा, जो प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) आजमगढ़ के पक्ष में देय/बन्धक होगा। कार्य का प्रकार एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य/शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कमरा नं0 212 विकास भवन, आजमगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र चालान द्वारा लेखाशीर्षक ''0070–अन्य प्रशासनिक सेवाये–02–चुनाव–101–चुनाव फार्मो और दस्तावेजों की बिक्री से आगम–02–स्थानीय निकाय'' में धनराशि जमा करके क्रय किये जा सकेंगे।

ह0
(महेन्द्र वर्मा)
प्रभारी अधिकारी/
जिला निर्वाचन कर्यालय
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
आजमगढ़।

पत्रांक 485/जि0नि0का0/पं0 एवं न0नि0/नि0सू0/2017 दिनांक 27 मार्च, 2017

प्रतिलिपि–: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित।

1– मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़/सदस्य निविदा समिति।

2– उपायुक्त मनरेगा आजमगढ़/सदस्य निविदा समिति।

3– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) आजमगढ/ सदस्य निविदा समिति।

4– जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से प्रषित कि इसका प्रकाशन दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान समाचार–पत्रों में कराने का कष्ट करें तथा बीजक सत्यापनोपरान्त भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करे।

प्रभारी अधिकारी/
जिला निर्वाचन कर्यालय
(पंचायत एवं नगरीय निकाय)
आजमगढ़।